

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2755/2005

प्रकाश चंद पुत्र श्री बिरधी चंद, पांड्या निकुंज, ग्राम नेतवाला, पोस्ट नीमला, जिला दौसा,
राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
- सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
- सचिव, खान, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान, उदयपुर
- जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री केदार सोलंकी
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री नीरज बत्रा, सरकारी वकील सुश्री गुंजन चावला के साथ श्री राहुल लोढा, अतिरिक्त सरकारी वकील

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

आदेश28/11/2024

- यह याचिका जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में '1956 अधिनियम') की धारा 89 (7) के तहत

2,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाने वाले दिनांक 18.10.2004 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 05.01.1973 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को ग्राम रेवाली, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में स्थित 690.66 हेक्टेयर भूमि बीस वर्षों के लिए आवंटित की गई थी। पट्टे की अवधि समाप्त होने से बारह महीने पहले, दिनांक 07.05.1992 को, याचिकाकर्ता ने पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन निर्धारित अवधि में तय नहीं किया गया था और इसे अस्वीकृत माना गया। अनुमानित अस्वीकृति के खिलाफ दायर पुनरीक्षण को दिनांक 01.12.1992 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नवीनीकरण आवेदन की अनुमानित अस्वीकृति के आदेश को रद्द कर दिया गया और प्रतिवादी को दो सौ दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। 1956 अधिनियम की धारा 91 के तहत शुरू की गई कार्यवाही दिनांक 25.03.2020 के बेदखली आदेश में परिणत हुई। याचिकाकर्ता को बेदखल करने का आदेश अपील में रद्द कर दिया गया और मामले को तहसीलदार को 1956 अधिनियम की धारा 89 के तहत कार्यवाही करने के लिए वापस भेजा गया। वापस भेजे जाने के परिणामस्वरूप, जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने दिनांक 18.10.2004 के आदेश द्वारा 1956 अधिनियम की धारा 89 के तहत 2,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। अतः, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि 1960 नियमों के नियम 24 ए (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, पट्टे की अवधि समाप्त होने से बारह महीने पहले याचिकाकर्ता ने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया था। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन का निपटान करने में विफलता पर, 1960 नियमों के नियम 24 ए (6) के अनुसार पट्टे की अवधि तब तक विस्तारित मानी जाती है जब तक आदेश पारित नहीं हो जाता। निवेदन यह है कि दर्ज किया गया निष्कर्ष यह है कि ग्राम रेवाली, तहसील बामनवास के खसरा संख्या 513 और 2060 में कोई खनन नहीं किया गया था और खसरा संख्या 1 से 4000 टन सोपस्टोन निकालने के लिए जुर्माना लगाया गया था जिसके लिए नवीनीकरण आवेदन लंबित था। यह तर्क

दिया गया है कि 1992 से 1999 की अवधि के लिए, खनन के लिए रिटर्न दाखिल किए गए थे और विभाग द्वारा निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान किया गया था।

4. प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता स्पष्ट रूप से निवेदन करते हैं कि वर्ष 1992 में दायर नवीनीकरण के आवेदन को वर्ष 2007 में अस्वीकृत कर दिया गया था और दिनांक 28.07.2007 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था।

5. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता चुनौतीप्राप्त आदेश का बचाव करते हैं।

6. दिनांक 27.09.1994 की अधिसूचना द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 (संक्षेप में '1960 नियम') के नियम 24ए का उप-नियम 6 संशोधित किया गया था। आगे बढ़ने से पहले नियम 24ए (1) और (6) को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

"24ए. खनन पट्टे का नवीनीकरण।-(1) खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन राज्य सरकार को फॉर्म जे में, उस तारीख से कम से कम बारह महीने पहले जिस पर पट्टा समाप्त होने वाला है, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

* *

(6) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए किया गया आवेदन पट्टे की समाप्ति की तारीख से पहले राज्य सरकार द्वारा निपटाया नहीं जाता है, तो उस पट्टे की अवधि तब तक के लिए और विस्तारित मानी जाएगी जब तक राज्य सरकार उस पर आदेश पारित नहीं कर देती।"

7. उप-नियम 1 यह प्रावधान करता है कि समाप्ति की तारीख से कम से कम बारह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार को किया जाना चाहिए।

8. उप-नियम 6 उप-नियम 1 के तहत निर्धारित समय के भीतर दायर नवीनीकरण आवेदन की लंबितता के दौरान पट्टे की अवधि को विस्तारित करने की विधिक कल्पना प्रदान करता है।

9. दायर उत्तर में, प्रतिवादी का पक्ष यह है कि 27.09.1994 की अधिसूचना द्वारा संशोधित 1960 नियमों का नियम 24 ए (6) वर्तमान मामले पर लागू होता है।
10. याचिकाकर्ता ने समाप्ति से बारह महीने पहले पट्टा विलेख के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया था और यह वर्ष 2007 तक लंबित रहा। नियम 24 ए (6) के अनुसार पट्टा विलेख 27.07.2007 तक विस्तारित किया गया था।
11. यह सुस्थापित कानून है कि जुर्माना लगाना एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही है और दायित्व प्राधिकारियों पर होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य में, जो (1970) 25STC 211 (SC) में रिपोर्ट किया गया है, यह माना कि जुर्माना केवल इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ऐसा करना वैध है, जब तक कि कार्य अवज्ञाकारी, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण न हो। हिंदुस्तान स्टील (उपरोक्त) का प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत है:-

"अधिनियम के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकरण करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है: अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के साथ पठित धारा 9(1)। लेकिन जुर्माना चुकाने का दायित्व केवल एक डीलर के रूप में पंजीकरण करने में चूक के प्रमाण पर उत्पन्न नहीं होता है। एक सांविधिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाने का आदेश एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है, और जुर्माना सामान्यतः तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि बाध्य पक्ष ने या तो जानबूझकर कानून की अवहेलना में कार्य न किया हो या अवज्ञाकारी या बेईमान आचरण का दोषी न हो, या अपने दायित्व की जानबूझकर उपेक्षा में कार्य न किया हो। जुर्माना केवल इसलिए भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ऐसा करना वैध है। सांविधिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं, यह प्राधिकारी के विवेक का मामला है जिसे न्यायिक रूप से और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करके प्रयोग किया जाना चाहिए। भले ही न्यूनतम जुर्माना निर्धारित हो, जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी जुर्माना लगाने से इनकार करने में न्यायोचित होगा, जब अधिनियम के प्रावधानों का तकनीकी या मामूली उल्लंघन हो या जहां उल्लंघन इस सद्भावनापूर्ण विश्वास से उत्पन्न होता है कि अपराधी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।"

12. जिला कलेक्टर ने इस आधार पर कार्यवाही की कि याचिकाकर्ता 1993 के बाद अपने पक्ष में एक वैध खनन पट्टा स्थापित करने में विफल रहा, जिससे याचिकाकर्ता

पर दायित्व गलत तरीके से स्थानांतरित हो गया। 1960 नियमों के नियम 24 ए के उप-नियम 6 के प्रभाव पर विचार किए बिना, जो पट्टे की अवधि को अनुमानित विस्तार देता है, जुर्माना लगाया गया था। चुनौतीप्राप्त आदेश रद्द किया जाता है।

13. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

रिया / 22

क्या रिपोर्ट करने योग्य है : हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

